

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 22.06.2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग शीर्ष	संख्या/मुख्य	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच		294.428

कुल आवंटित राशि - रुपये दो करोड़ चौरावने लाख बयालीस हजार आठ सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट उपबंध रु. 9966.21 लाख (निन्यानबे करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2023 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 49

रॉची, दिनांक :- 22.06.2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/लोहरदगा/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सरायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/जामताड़ा/डाल्टेनगंज (पलामू) सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

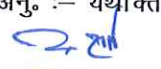

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 49

रॉची, दिनांक :- 22.06.2022

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/अधीक्षक अभियंता, योजना आयोजन एवं मॉनिटरिंग अंचल-2, रॉची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल

लघु शीर्ष-005 अन्वेषण / उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच

पत्रांक. 49 दिनांक 22.06.2022 का अनुलग्नक

मुख्य शाखा-2702																	पत्रांक-49		दिनांक-27/02/2025		
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण / उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच																	राशि लाख रुपये में				
वित्तीय वर्ष 2022-2023																	वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
वित्तीय वर्ष		वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		वित्तीय शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय		कार्यालय व्यय		किराया, दर, कर		आपूर्ति एवं सामग्री		दूरभाष		वर्दी		विपुल व्यय		वित्तीय शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत		वित्तीय शीर्ष-07-विशिष्ट प्रभार	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	एलटीओसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विपुल व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति						
क0 सं0	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	एलटीओसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विपुल व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	50S2702020050 विपत्र कोड 1000101	50S270202005 01000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 01000316	50S270202005 501000323	50S27020200 01000334	50S270202005 01000337	50S270202005 01000442	50S270202005 01000760			19.500							
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	पूर्व का आवंटन	18.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.800	0.000	30.900							
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.200	0.000	0.400	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	50.400							
		कुल आवंटन	48.000	0.200	0.000	0.900	0.000	0.600	0.200	0.000	0.000	1.600	0.000	81.300							
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची	पूर्व का आवंटन	150.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.200	0.000	0.400	0.800	0.250	32.750							
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.400	0.400	0.000	0.300	0.200	0.000	0.400	1.600	0.250	184.250							
		कुल आवंटन	180.000	0.000	0.400	0.900	0.000	0.600	0.400	0.000	0.800	2.400	0.500	203.000							
3	लघु सिंचाई अंचल-चाईबासा	पूर्व का आवंटन	19.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	21.430							
		अतिरिक्त आवंटन	20.630	0.000	0.300	0.300	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	41.480							
		कुल आवंटन	39.630	0.000	0.300	0.600	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	1.200	0.000	62.910							
4	लघु सिंचाई अंचल-राँची	पूर्व का आवंटन	80.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	81.050							
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	111.850							
		कुल आवंटन	110.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	1.200	0.000	192.900							
5	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	70.000	0.000	0.000	0.300	0.150	0.200	0.150	0.000	0.000	0.600	0.150	103.582							
		अतिरिक्त आवंटन	31.432	0.000	0.300	0.300	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.600	0.150	135.114							
		कुल आवंटन	101.432	0.000	0.300	0.600	0.150	0.400	0.300	0.000	0.000	1.200	0.300	139.696							
6	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, दुमका	पूर्व का आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	31.000							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	31.500							
		कुल आवंटन	30.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	62.500							
7	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-राँची	पूर्व का आवंटन	189.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.100	197.960							
		अतिरिक्त आवंटन	7.610	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	146.850							
		कुल आवंटन	196.610	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	1.000	0.100	244.810							
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी	पूर्व का आवंटन	146.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.150	205.550							
		अतिरिक्त आवंटन	58.000	0.000	0.200	0.250	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	136.850							
		कुल आवंटन	204.000	0.000	0.200	0.500	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	1.000	0.150	342.400							
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-गाढ़वा	पूर्व का आवंटन	136.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	137.250							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.200	138.750							
		कुल आवंटन	136.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	1.000	0.400	276.000							

(राजेश प्रसाद,
उप सचिव (अभि.))

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह,
संयुक्त सचिव (अभि.))

(प्रशांत कुमार,
सचिव)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय						विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विधि प्रभार		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	वेतन	एलएटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभिवृत्ति								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-पिरीसिंह	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 160.000 कुल आवंटन 160.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.000 0.000 0.000	160.750 0.400 161.150									
11	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 200.000 कुल आवंटन 200.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.100 0.100 0.200	201.000 150.850 0.950									
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-चतरा	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 150.000 कुल आवंटन 150.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.250 0.500 0.750	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.100 0.100 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.800 1.100	0.200 0.200 0.400	151.800 300.850 0.900									
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 300.000 कुल आवंटन 300.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.600 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.100 0.100 0.200	301.750 250.850 1.750		₹							
14	लघु सिंचाई प्रमंडल-जामताड़ा	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 250.000 कुल आवंटन 250.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.500 0.750	1.000 0.000 1.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.300 0.300 0.600	252.600 170.850 20.700									
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-धानबाद	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 20.000 कुल आवंटन 20.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.500 0.750	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.250 0.250 0.500	191.550 220.850 2.436									
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-बोकारो	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 220.000 कुल आवंटन 220.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.250 0.450 0.700	2.136 0.000 2.136	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	180.850 425.850 606.700									
17	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 180.000 कुल आवंटन 180.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.100 0.100 0.200	181.350 425.850 607.200									
18	लघु सिंचाई प्रमंडल-रॉधी	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 425.000 कुल आवंटन 425.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 0.500 1.500	0.100 0.100 0.200	426.850 120.750 547.600									
19	लघु सिंचाई प्रमंडल-लातेहार	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 120.000 कुल आवंटन 120.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	121.650 120.850 242.500									
20	लघु सिंचाई प्रमंडल-लोहरागंगा	पूर्व का आवंटन 0.000 अतिरिक्त आवंटन 120.000 कुल आवंटन 120.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	121.350 0.500 121.850									

(राजेश्वर प्रसाद),
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह),
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार),
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023		विरस्त शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरस्त शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय		विरस्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विरस्त शीर्ष-04-मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत		विरस्त शीर्ष-07-विशिष्ट प्रसार		कुल योग	अनुयुक्ति
	कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०बी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत	विशिष्ट प्रसार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
21	लघु सिंचाई प्रमंडल-सरायकेला	विराज कोड	50S2702020050 01000101	50S270202005 01000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 01000316	50S27020200 501000323	50S27020200 501000333	50S270202005 01000334	50S270202005 01000337	50S270202005 01000442	50S270202005 01000760	250.850					
		पूर्व का आवंटन	250.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	250.850					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.200	0.470	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	1.120					
		कुल आवंटन	250.000	0.000	0.200	0.450	0.470	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.250	251.970					
22	लघु सिंचाई प्रमंडल-सिमडेगा	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	160.850					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	1.000					
		कुल आवंटन	160.000	0.000	0.200	0.450	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.500	161.850					
23	लघु सिंचाई प्रमंडल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	170.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	170.850					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.500					
		कुल आवंटन	170.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	171.350					
24	लघु सिंचाई प्रमंडल-हुसैनगढ़	पूर्व का आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	140.850					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.500	1.700					
		कुल आवंटन	140.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	1.500	142.550					
25	लघु सिंचाई रूपांकण एवं मोनोटरिंग प्रमंडल, दुमका	पूर्व का आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	40.850					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.050	0.200	0.200	0.000	0.200	0.000	0.000	0.500	0.300	0.000	1.450					
		कुल आवंटन	40.000	0.050	0.200	0.450	0.000	0.200	0.100	0.000	0.500	0.800	0.000	42.300					
26	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल-दुमका, शिविर देवघर	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	220.850					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.900					
		कुल आवंटन	220.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.500	221.750					
27	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची	पूर्व का आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	190.850					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450					
		कुल आवंटन	190.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	191.300					
28	नूगर्म जल सर्वेक्षण प्रमंडल-दुमका	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	60.750					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200					
		कुल आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	60.950					
29	नूगर्म जल सर्वेक्षण प्रमंडल-राँची	पूर्व का आवंटन	80.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	80.850					
		अतिरिक्त आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	40.900					
		कुल आवंटन	120.000	0.000	0.000	0.65000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	122.250					
	अतिरिक्त आवंटन का योग		267.672	0.250	5.250	6.150	5.156	1.800	0.200	0.000	0.900	2.200	4.850	294.428					

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रु. दो करोड़ चौरानवे लाख बयालीस हजार आठ सौ मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रघुम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव